रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2015/आषाढ़ 30, 1937
No. 458]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2015/ASADHA 30, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 569(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग-III पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उसका संबंध फील्ड कलेक्टर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में फील्ड कलेक्टर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (फील्ड कलेक्टर), समूह 'ग' भर्ती नियम, 2015 है ।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निर्हता** : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फील्ड कलेक्टर	20 (2015)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रू + ग्रेड वेतन 2000 रू0	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिथिल की जा सकती है ।) (**टिप्पण** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के ल÷ाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	**आवश्यक :-** (1) हायर सेकेण्डरी (10+2) या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसमें विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो । (2) फील्ड में काम करने की योग्यता :— **वांछनीय :** 1. प्राणी-विज्ञान के नमूने के संग्रहण और संरक्षण की पद्धति का अनुभव । 2. पशुओं के मुख्य समूह की आदतों और निवास स्थानों का ज्ञान । **टिप्पण 1** : अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** : अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं **अर्हता :-** नहीं, किंतु कम से कम मेट्रिकुलेशन या समतुल्य कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए जिसमें विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
11
प्रोन्नति : ऐसे फील्ड सहायक II जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है । **टिप्पण :** जहां ऐसे कन्ष्ठि व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-- 1. निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण -अध्यक्ष 2. संपर्क अधिकारी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण -सदस्य 3. प्रधान कार्यालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण -सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 02-16/2012-सीएसजेड]

आर. दलवानी, सलाहकार (सीएस) I

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2015

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class-III posts) Recruitment Rules, 1963 in so far as it relates to the post of Field Collector except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Field Collector in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, namely:—

1. **Short title and commencement**.–

   (1) These rules may be called the Zoological Survey of India (Field Collector), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**–The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.–** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, –

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.–**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay, pay scale	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Field Collector	20 (2014)* * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Posts Non-Gazetted, Non-ministerial.	PB-I of Rs. 5,200-20,200 with GP of Rs. 2,000	Non-selection	Between 18 years and 27 years (relaxable for Government servants and the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or order issued by Central Government from time to time) **Note 1**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not to closing date for receipt of applications from those person in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Leaaul and Spiti district and Panaji sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential :- (1) Must have passed Higher Secondary (10+2) or equivalent examination with Science as one of the subjects. (2) Ability to work in the field. **Desirable :-** (1) Experience in the method of collection and preservation of Zoological Specimens. (2) Knowledge of habits and habitats of principal group of animals. **NOTE 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **NOTE 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the SSC Competent Authority is of the opinion that	**Age:** No **Educational qualification**:- No, but must possess at least Matriculation or equivalent standard with Science as one of the subjects.	Two years for direct recruits.	By promotion, failing which by direct recruitment.

sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion, deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion :- Field Assistant with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification/eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, Zoological Survey of India-Chairman 2. Liaison Officer for SC/ST/OBC, ZSI-Member 3. Head of Office Zoological Survey of India-Member 4. Head of Office, Zoological Survey of India-Member	Not Applicable

[F. No. 02-16/2012-CSZ]

R. DALWANI, Advisor (CS)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.